FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0221 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 28/08/2025 18:14 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 08/08/2025 **Date To (दिनांक तक):** 26/08/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:30 बजे **Time To (समय तक):** 15:20 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 28/08/2025 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 28/08/2025 18:14:49 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 400 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KING CAR WORLD KA PORCH/ PARISAR ASHWARYA, COLLEGE ROAD,NEW R.T.O. OFFICE, KE PEECHHE,UADIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MOHIT SONI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** ASHOK SONI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1999 (d)**Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	26, LAKHARA CHAUK, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	26, LAKHARA CHAUK, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SHANTI LAL SONI		पत्नी:GOPAL LAL SONI	1. DHAMANA ROAD,NAI HARIJAN BASTI,HAPPY PUBLIC SCHOOL KE PASS,KAPASAN,CHITTORGARH,RAJASTHAN,INDIA
2	HITESH MEHATA		पिता:LAKSHMI LAL MEHATH	1. 3 SHASHI SADAN,NAVAL SHAYAM HAWELI KE PASS,DUNGARPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		3,50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 3,50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

प्रकरण के हालात इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 08.08.2025 को मन् उप अधीक्षक पुलिस सुरेश कुमार स्वामी को श्री ज्ञानप्रकाश नवल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय, जयपुर द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर पूर्व से सामने बैठे हुए व्यक्ति का परिवादी श्री मोहित सोनी के रूप में परिचय करवाते हुये उसके द्वारा पेश हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पर मन् उप अधीक्षक पुलिस के नाम पृष्ठांकित करते हुये नियमानुसार अग्रीम कार्यवाही करने हेतु सुपुर्द किया, इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा प्रार्थना पत्र व परिवादी को हमराह लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया और परिवादी श्री मोहित सोनी को अपना परिचय देकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री मोहित सोनी पुत्र श्री अशोक सोनी उम्र 26 साल निवासी 26 लखारा चौक, उदयपुर मोबाईल नम्बर [redacted] होना बताया। परिवादी श्री मोहित सोनी द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "सेवा में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर विषय:- रिश्वत मांगने पर कार्यवाही करने बाबत्। महोदय निवेदन है कि मेरा इंद्रसिंह राव से BMW कार विक्रय करने व पेसो के लेन-देन के सम्बंध में विवाद होकर मेरे विरोध में इंद्र सिंह ने दो प्रकरण सुखेर थाने में दर्ज करवाए थे। उक्त प्रकरणो में मेरे दुर के रिश्तेदार शांतिलाल सोनी द्वारा उदयपुर में महिला प्रकोष्ठ में लगे Add.sp साहब हितेश मेहता जी से मिलवाया और हितेश मेहता जी ने मेरे द्वारा जरिये कोर्ट इंद्रसिंह के विरूद्ध दर्ज कराये जा रहे प्रकरण में चालान पेश करने व मुझे इंद्रसिंह से BMW कार के बकाया पैसे दिलवाने में मदद करने के लिए 3 लाख रूपये मांगे और मेरे सारे मामले निमटाने के लिए और उक्त रिश्वत की राशि शांतिलाल को देने के लिए कहा। मैं हितेश जी मेहता Add.sp को व शांतिलाल सोनी को रिश्वत की राशि नही देना चाहता हूं। शांतिलाल मुझे फोन कर Add.sp साहब को रिश्वत की राशि देने के लिए दबाव बना रहा है। मैं इनको रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं कारवाही करने का श्रम करे। एसडी मोहित सोनी दिनांक 8/08/2025 प्रार्थी मोहित सोनी पुत्र अशोक सोनी उम्र 26 साल निवासी 26 लखारा चौक, उदयपुर मोबाईल नम्बर [redacted]" तत्पश्चात परिवादी ने दरियाफ्त पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैं पुरानी कारो का क्रय विक्रय करने का काम करता हूं। मेरा किंग कार वर्ल्ड के नाम से कार बाजार न्यू आरटीओ रोड उदयपुर में स्थित है। मेरे द्वारा बीएमडब्ल्यु कार नं0 आरजे 27 सीएल 5000 इन्द्रसिंह राव को 35 लाख रूपये में बेची थी, जिसकी बकाया राशि 19,15,492/- रूपये को हड़पने की नियत से मेरे विरूद्ध इन्द्रसिंह ने दो प्रकरण पुलिस थाना सुखेर में दर्ज करवाये थे, जिनमें वर्तमान में एफआर प्रस्तावित हो चुकी है। हितेश मेहता जी एडिशनल एसपी साहब पूर्व में उक्त मुकदमो में सहयोग करने के नाम पर रिश्वती राशि की मांग की थी। मैंने माननीय न्यायालय में चैक बाउंस का प्रकरण दर्ज करवाने हेतु इस्तगासा प्रस्तुत किया है, जिस पर प्रकरण दर्ज होना है। उक्त प्रकरण में चालान पेश करने व इन्द्रसिंह से कार के बकाया पैसे दिलवाने के नाम पर 3 लाख रूपये की रिश्वती राशि हितेश जी मेहता एडिशनल एसपी व शांतिलाल सोनी द्वारा मांगी जा रही है। मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा हस्तलिखित है। मेरी श्री हितेश मेहता एडिशनल एसपी साहब व श्री शांतिलाल सोनी से पूर्व में कोई लेन-देन व रंजिश नही है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाता है। अतः रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही के बारे में बताने पर परिवादी श्री मोहित सोनी ने बताया कि मैं शांतिलाल सोनी को साथ लेकर श्री हितेश मेहता एडिशनल एसपी साहब के कार्यालय में जाकर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा दूंगा। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री प्रदीप कुमार कानि नं0 245 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री मोहित सोनी व कानि0 का आपस में परिचय करवाया। तत्पश्चात श्री ब्रह्मप्रकाश हैड कानि0 99 से कार्यालय के मालखाने से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर व Sandisk Ultra 32GB नया मैमोरी कार्ड मंगवाकर

उनका खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री मोहित सोनी को डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को चालू व बंद करने की प्रक्रिया को समझाया गया। कानि0 श्री प्रदीप कुमार को परिवादी श्री मोहित सोनी के बुलाने व उनके बताये गये स्थान पर पहुंचकर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही कराने के लिए मुनासिब हिदायत दी गई। परिवादी श्री मोहित सोनी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि 09.08.2025 को रक्षाबंधन है, इसलिए मंगलवार को रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा दूंगा। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने कानि0 श्री प्रदीप कुमार को उदयपुर जाकर परिवादी से सम्पर्क कर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही कराने की मुनासिब हिदायत दी गई। विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को पुनः कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी मोहित सोनी को हिदायत मुनासिब कर रूखसत किया गया। दिनांक 11.08.2025 को मन् उपअधीक्षक पुलिस द्वारा कानि0 श्री प्रदीप कुमार को विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर उदयपुर पहुंचने पर परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 12.08.2025 को मन् उप अधीक्षक पुलिस को श्री ज्ञान प्रकाश नवल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कानि0 श्री प्रदीप कुमार ने मुझे जरिये फोन अवगत कराया कि दिनांक 12.08.2025 को मैं उदयपुर पहुंचकर परिवादी से सम्पर्क किया और परिवादी श्री मोहित सोनी द्वारा संदिग्ध श्री हितेश मेहता के दलाल श्री शांतिलाल सोनी से सम्पर्क हो रहा है, परन्तु दलाल श्री शांतिलाल सोनी के उदयपुर आने पर ही संदिग्ध के कार्यालय में जाकर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही की जावेगी। तदुपरांत दिनांक 13.08.2025 को मन् उप अधीक्षक पुलिस को श्री ज्ञान प्रकाश नवल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कानि0 श्री प्रदीप कुमार ने जरिये फोन अवगत कराया कि परिवादी श्री मोहित सोनी द्वारा संदिग्ध श्री हितेश मेहता के दलाल शांतिलाल सोनी से जरिये फोन सम्पर्क हो रहा है, श्री शांतिलाल सोनी द्वारा कल हितेश मेहता जी के कार्यालय में आकर पहले बात करेगा उसके पश्चात परिवादी श्री मोहित सोनी बुलायेगा। अतः आज रात्रि उदयपुर ही मुकीम रहुंगा। इस पर कानि0 श्री प्रदीप कुमार को रिश्वत मांग सत्यापन करवाने के सम्बंध में मुनासिब हिदायत दी गई। दिनांक 14.08.2025 को मन् उप अधीक्षक पुलिस को श्री ज्ञान प्रकाश नवल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कानि0 श्री प्रदीप कुमार ने जरिये फोन मुझे अवगत कराया कि आज परिवादी का दलाल श्री शांतिलाल सोनी से जरिये फोन सम्पर्क होता रहा। तत्पश्चात् श्री शांतिलाल सोनी द्वारा परिवादी श्री मोहित सोनी को संदिग्ध श्री हितेश मेहता के कार्यालय में बुलाया तो मैं परिवादी के साथ उसके प्राईवेट वाहन से रवाना होकर प्रतापनगर रोड़ पर स्थित कार्यालय से कुछ दुरी पूर्व परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन के सम्बंध में मुनासिब हिदायत कर समय 05.45 पीएम पर विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर चालु कर सुपुर्द कर रवाना किया गया और मैं भी उसके पीछे-पीछे रवाना होकर महिला प्रकोष्ठ उदयपुर के कार्यालय के बाहर जाकर अपनी पहचान छुपाते हुए मुकीम हो गया। परिवादी एक व्यक्ति के साथ कार्यालय में प्रवेश कर गया। तत्पश्चात् मैं कार्यालय के बाहर ही मुकीम रहा। कुछ समय बाद परिवादी एक व्यक्ति के साथ बाहर निकला और कार्यालय के पास स्थित चाय की दुकान के पास आ गये और वार्ता करने लग गये। कुछ समय वार्ता कर परिवादी अपनी कार से रवाना हुआ, जिस पर समय 07.04 पीएम पर कार्यालय से कुछ दुरी आगे परिवादी से मिला और विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास रखा गया। परिवादी श्री मोहित सोनी ने कानि. श्री प्रदीप कुमार को बताया कि "मैं शांतिलाल सोनी के साथ कार्यालय में गया और एडिशनल एसपी साहब अन्य वार्ता में व्यस्त होने के कारण कार्यालय के बाहर 45 मिनट बाहर ही परिसर में इंतजार किया, तत्पश्चात् कार्यालय कक्ष में गये और एडिशनल एसपी साहब ने पहले मेरे द्वारा कोर्ट के मार्फत चैक बाउन्स के केस के बारे में वार्ता की और मोबाईल फोन के बारे में पूछा तो मैंने फोन बाहर ही होना बताया और उसके बाद मुझे कहा कि बकवास करता है और कहा कि "उस समय मामला खराब कर दिया तो फिर सहयोग कम कर दिया" और मेरे द्वारा पुर्व में की गलती के सम्बंध में माफी मांगी और उन्होने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि पूर्व में मांगी गई रिश्वती राशि वाला काम करो और सहयोग करते है और मैंने एडिशनल एसपी साहब के सामने ही शांतिलाल से पूर्व में मांगी गई रिश्वती राशि के बारे में कहा तो शांतिलाल ने कहा कि साहब के सामने ही क्लीयर कर दूं, जिस दिन तेरे को साहब की जरूरत पड़ेगी, उस दिन साहब अवेलेबल रहेगे और एडिशनल एसपी साहब ने कहा कि मुर्गी को मारने से क्या मतलब अंडे खाओ, तुम्हारे सौ काम पड़ेगे, हर बार रिलीफ दिलायेगे, एडिशनल एसपी साहब ने कहा कि बाहर जाकर बात करो, उन्होने इस्तगासे की एक प्रति रख ली। उसके बाद मैं शांतिलाल के साथ बाहर आ गया और शांतिलाल ने पूर्व में एडिशनल एसपी साहब से हुई पूरी वार्ता बताई और एडिशनल एसपी साहब द्वारा पूर्व में मांगे गये 03 लाख रिश्वती राशि में 50 हजार रूपये बढाकर साढे तीन लाख की मांग करने बारे में बताया और कल ही रिश्वती राशि देने के लिए कहा गया तथा उसके बाद मैंने शांतिलाल को साढे तीन लाख रूपये एडिशनल एसपी साहब को देने के बाद सीआई साहब को नही देने के बारे में कहा और उसके बाद वो अन्दर वापस वार्ता करने के लिए चला गया, उसके बाद मैं रवाना हो गया।" मन् अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस द्वारा कानि0 श्री प्रदीप कुमार को गोपनीयत की मुनासिब हिदायत दी गई। दिनांक 15.08.2025 को मन् उप अधीक्षक पुलिस को श्री ज्ञान प्रकाश नवल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कानि0 श्री प्रदीप कुमार ने जरिये फोन मुझे अवगत कराया कि आज परिवादी श्री मोहित सोनी का दलाल श्री शांतिलाल सोनी के व्हाट्सअप कॉल आये और समय 03.46 पीएम परिवादी श्री मोहित सोनी के मोबाईल नम्बर [redacted] व दलाल श्री शांतिलाल सोनी के मोबाईल नम्बर [redacted] के मध्य

व्हाट्सअप कॉल पर वार्ता हुई, जिसे विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। उक्त वार्ता मे शांतिलाल सोनी द्वारा एडिशनल साहब का सुबह से दो बार रिश्वती राशि लेने के लिए फोन आने और 20 हजार रूपये अभी आवश्यक होने पर शांतिलाल द्वारा मांगे जाते है, जिस पर परिवादी ने कहा कि पैमेंट की व्यवस्था नही हुई इत्यादि वार्ता हुई। दलाल श्री शांतिलाल सोनी लगातार व्हाट्सअप कॉल कर रिश्वती राशि देने के लिए दबाव बना रहा है। कानि0 श्री प्रदीप कुमार ने बताया कि शनिवार रविवार को एडिशनल एसपी ऑफिस बंद रहता है। कानि0 श्री प्रदीप कुमार को ब्यूरो कार्यालय, जयपुर आने की मुनासिब हिदायत दी गई। दिनांक 16.08.2025 को श्री प्रदीप कुमार ने ब्यूरो कार्यालय हाजा में मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर बंद किया हुआ विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर पूर्व में कराये जा रहे रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही के तथ्यो को पुनः अवगत कराया, मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो कानि0 द्वारा बताये गये तथ्य ताईद हुए। विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 19.8.2025 को मन् उप अधीक्षक पुलिस को श्री ज्ञान प्रकाश नवल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि परिवादी ने जरिये फोन अवगत कराया कि श्री शांतिलाल सोनी बार-बार फोन कर बोलता है कि मेरे पास हितेश मेहता एडिशनल एसपी साहब का फोन आता और पैसे मांगते है। तू मुझे जल्द से जल्द पैसा दे, जिस पर मेरे द्वारा रूपये की व्यवस्था करने के बारे में कहा गया है। दिनांक 21.08.2025 को परिवादी श्री मोहित सोनी ब्यूरो कार्यालय हाजा में मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर पूर्व में कराये गये रिश्वत मांग सत्यापन के कथनो को पुनः ताईद कर बताया कि श्री शांतिलाल सोनी द्वारा लगातार मेरे से फोन पर सम्पर्क कर एडिशनल एसपी साहब हितेश जी का नाम लेकर रिश्वती राशि देने के लिए दबाव बना रहा है व दो बार तो में किंग कार बाजार के कार्यालय में भी आ गया । मैंने उसको रूपये की व्यवस्था नही होने के बारे में बताया और उसको दो-तीन दिन में रिश्वती राशि देने के लिए कहा है और शांतिलाल सोनी के आज भी फोन आ रहे है। कुछ समय पश्चात कार्यालय में उपस्थित परिवादी के पास संदिग्ध शांतिलाल का व्हाट्सअप कॉल आने पर समय 03.43 पीएम पर परिवादी श्री मोहित सोनी के मोबाईल नम्बर [redacted] दलाल श्री शांतिलाल सोनी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर व्हॉटसअप कॉल करवाया गया तो शांतिलाल द्वारा दो-तीन दिन होने के बारे में बोलने पर परिवादी ने किसी आरसी के कारण बैंक पैमेंट अटकने के बारे में बताने व जयपुर होने के बारे में बताया जाता है, जिस पर शांतिलाल द्वारा ऑफिस में उदयपुर आने, गुरूवार हो जाने के बारे में बताने पर परिवादी द्वारा साहब को साढे तीन लाख एक साथ देने के कारण लेट होने व टुकड़े में देने व पैमेंट व्यवस्था सम्बंधित वार्ता होती है तथा शांतिलाल द्वारा एडिशनल एसपी साहब ने बुलाया है बताने पर परिवादी द्वारा पूर्व में टुकड़े में पैसे देने के कारण मालुम नही चलना बताने सम्बंधित वार्ताए होती है। उक्त रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं से मन् उपअधीक्षक पुलिस द्वारा उच्चाधिकारियो को अवगत करवाकर ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। परिवादी श्री मोहित सोनी को रिश्वती राशि की व्यवस्था करने के लिए कहा गया तो परिवादी ने सोमवार तक रिश्वती राशि की व्यवस्था करने के लिए सहमति दी। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को मुनासिब हिदायत कर ब्यूरो कार्यालय से रूख्सत किया गया। दिनांक 25.08.2025 को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री ब्रह्मप्रकाश हैड कानि0 नं0 99 को पूर्व से पाबन्ध शुदा दोनो स्वतन्त्र गवाहान को ब्यूरो कार्यालय में तलब करने व ट्रेप बॉक्स तैयार करने की मुनासिब हिदायत दी गई । कुछ समय पश्चात स्वतंत्र गवाहन कार्यालय हाजा पर मन् पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आये, जिनसे नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री आशीष सिहरा पुत्र श्री गंगासहाय सिहरा जाति मीणा उम्र 28 साल निवासी मकान नं0 115, बडापुरा रौंसी, तहसील नादौती, जिला करौली वर्तमान निवास मकान नं0 7/67, रत्नागीरी अपार्टमेंट सैक्टर-07, इन्द्रागांधी नगर, जगतपुरा जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम जयपुर मो0नं0[redacted] व दूसरे ने अपना नाम श्री मानसिंह शेखावत पुत्र श्री रणजीत सिंह शेखावत जाति राजपुत उम्र 25 साल निवासी सी-13, जे0पी0 कोलोनी, विधाधर नगर जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम जयपुर मो0नं0[redacted] बताया, जिनसे गोपनीय कार्यवाही में सम्मलित होने की सहमति चाही गई तो दोनो ने पृथक-पृथक अपनी मौखिक सहमति प्रदान की गई। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहन को दिनांक 26.08.2025 को समय 05.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से रूपयों की व्यवस्था करने के बारे में जरिये फोन सम्पर्क किया तो परिवादी ने अवगत कराया कि रिश्वती राशि 3,50,000/- रूपये की व्यवस्था हो चुकी है। मैं आज उदयपुर से जयपुर नही आ सकता हूं, आपकी टीम कल उदयपुर आयेगी तो मैं आपको आरोपीगणो को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश कर दूंगा, इत्यादि वार्ता हुई। तत्पश्चात चौकी हाजा के समस्त स्टाफ को दिनांक 26.08.2025 को समय 05.00 एएम पर ब्युरो कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत दी गई। दिनांक 26.08.2025 को निर्धारित समय पर चौकी हाजा का समस्त स्टाफ व स्वतंत्र गवाहन श्री आशीष सिहरा व श्री मानसिंह शेखावत ब्यूरो कार्यालय उपस्थित हो चुके है, टेंप कार्यवाही में काम आने वाली कांच की शीशीयां को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये जाकर सुखने के उपरान्त एवं नये डिस्पोजल प्लास्टिक के ग्लास एवं चम्मच ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। चूंकि परिवादी द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि उदयपुर में ही पेश की जावेगी। अतः मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय

हाजा के श्री प्रेमसिंह वरिष्ठ सहायक से कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर कार्यालय प्रभारी श्री ज्ञानप्रकाश नवल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सरकारी वाहन नं0 आरजे 14 यूएल 5823 के डेस्क बोर्ड में रखवाई गई। समय 6.00 एएम पर श्री ज्ञानप्रकाश नवल अति. पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय, जयपुर के निर्देशन में मन् उप अधीक्षक पुलिस श्री सुरेश कुमार स्वामी, मय श्री हरिभजन सहायक उप निरीक्षक, श्री ब्रहमप्रकाश हैड कानि0 नं0 99, श्री सुभाष चन्द्र कानि0 592, श्रीमती पिंकी कंवर म0 कानि0 नं0 11, श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245, श्री प्रवीण नारोलिया कानि0 222, श्री कपिल कुमार कानि0 नं0 377, श्री प्रेमसिंह वरिष्ठ सहायक एवं स्वतंत्र गवाहन श्री आशीष मिहरा व श्री मानसिंह शेखावत को साथ जरिये सरकारी मिनी बस संख्या आरजे 14 पीई 9166 मय सरकारी चालक श्री रोहिताश कानि0 व सरकारी वाहन नं0 आरजे 14 यूएल 5823 मय सरकारी चालक श्री सुरेन्द्र कुमार कानि0 मय लेपटॉप, प्रिन्टर, विडियो केमरा, ट्रेप बॉक्स व अन्य आवश्यक सामग्री के वास्ते करने गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु एसीबी कार्यालय, जयपुर से रवाना हुये। समय 1.20 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय समस्त ट्रेप टीम, स्वतंत्र गवाहन के भुवाणा बाईपास, उदयपुर पहुंचे, जहां पर परिवादी श्री मोहित सोनी अपने प्राईवेट वाहन साथ मौजुद मिला, जिस पर हमराह सरकारी मिनी बस संख्या आरजे 14 पीई 9166 में परिवादी श्री मोहित सोनी का हमराह स्वतंत्र गवाहन श्री आशीष मिहरा व श्री मानसिंह शेखावत का आपस में परिचय करवाकर जाकर परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र स्वतंत्र गवाहान को पढवाया जाकर प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये और अब तक की गई रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही से अवगत करवाया गया। तत्पश्चात् अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। जिसके क्रम में मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा स्वतंत्र गवाहन श्री आशीष सिहरा व श्री मानसिंह शेखावत की मौजुदगी में परिवादी श्री मोहित सोनी को आरोपीगण श्री हितेश मेहता, व दलाल श्री शांतिलाल सोनी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा गया, जिस पर परिवादी श्री मोहित सोनी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 700 नोट कुल 7 नई गड्डीयां प्रचलित भारतीय मुद्रा के कुल राशि 3,50,000/-रूपये निकालकर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये, उक्त नोटों का विवरण फर्द पेशकशी में अंकित किया गया। उपरोक्त सभी 500-500 रूपये के प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोट कुल 700 नोट राशि 3,50,000/-रूपये पर फिनोफ्थीलन पाउडर लगवाने हेतु दोनों स्वतन्त्र गवाहन व परिवादी मोहित सोनी के समक्ष हमराह श्री प्रेम सिंह वरिष्ठ सहायक कार्यालय हाजा से हमराह सरकारी वाहन नं0 आरजे 14 यूएल 5823 के डेस्क बोर्ड में से फिनोफ्थीलन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर सरकारी मिनी बस संख्या आरजे 14 पीई 9166 में एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर नियमानुसार 500-500 रूपये के कुल 700 नोट की 07 नई गड्डीयां (प्रत्येक गड्डी में 100 नोट) पर लगवाया गया तथा परिवादी श्री मोहित सोनी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहन श्री आशीष सिहरा से लिवाई जाकर उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त 7 नई गड्डियां सीधे ही श्री प्रेम सिंह वरिष्ठ सहायक से एक पारदर्शी प्लास्टिक की थैली में रखवाकर परिवादी श्री मोहित सोनी के पास मौजूद रेगजीन के नेवी ब्लू कलर का बैग, जिस पर अंग्रेजी में Being Human लिखा हुआ है, में रखवाई जाकर उक्त बैग परिवादी श्री मोहित सोनी को सुपुर्द करवाया जाकर हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये व संदिग्ध आरोपीगण द्वारा मांगने पर ही उक्त नोटो की गड्डीयों को निकालकर उन्हें रिश्वत के रूप में देवें तथा आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि लेने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मिस कॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करें एवं रिश्वत राशि को कहां रखता है यह भी ध्यान रखें एवं साथ ही स्वतन्त्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखने व दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री मोहित सोनी को फिनोल्पथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाने के लिए हमराह ट्रेप बॉक्स में से नये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उनमें साफ पानी डालकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया जाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया घोल का रंग रंगहीन रहा, उसके बाद श्री प्रेम सिंह वरिष्ठ सहायक जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था के हाथों की अंगुलियों को उक्त सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसके बारे में उपस्थित गवाहान व परिवादी को समझाया गया कि जो भी इन पाउडर लगे नोटों को हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथ इस प्रक्रिया के अनुसार धुलवाने से पानी का रंग गुलाबी हो जावेगा। तत्पश्चात श्री प्रेम सिंह वरिष्ठ सहायक से गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाकर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास तथा उस अखबार को जिस पर रखकर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था को जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्री प्रेम सिंह वरिष्ठ सहायक के हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सदस्यों व गवाहान की एक दूसरे से तलाशी लिवाये जाने पर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु या दस्तावेज आदि नहीं छोड़े गये। टेªप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। रिश्वत राशि लेन-देन के समय संदिग्ध आरोपी से होने वाली बातचीत को रिकार्ड करने के लिए विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय नया मैमोरी कार्ड कानि0 श्री प्रदीप कुमार को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। श्री प्रेम सिंह वरिष्ठ सहायक मय फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बे को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत मुनासिब कर वहीं छोडा गया। उक्त फर्द का प्रिन्ट मिनी बस में लगे बैटरी के करंट

प्लक से प्रिन्टर को कनेक्ट कर प्रिन्ट लिये गये तथा फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी दौरान परिवादी श्री मोहित सोनी ने बताया कि श्री शांतिलाल सोनी लगातार फोन कर रिश्वती राशि देने के लिए दबाव बना रहा है और कहता है कि तूने मेरी बात खराब करवा दी, हितेश जी मेहता मुझे फोन करते है। शांतिलाल कल भी देर रात तक मेरे किंग वर्ल्ड कार बाजार ऑफिस में बैठा रहा और आज भी अब लगातार मेरे को फोन कर रहा है। अभी भी तीन-चार बार फोन आ गये है । जिस पर समय 02.45 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] से दलाल श्री शांतिलाल सोनी के मोबाईल नम्बर [redacted] के पर ऑपन स्पीकर व्हॉटसअप कॉल करवाया गया तो शांतिलाल काफी गुस्से में होकर अभी रिश्वती राशि देने के लिए कहा, जिस पर परिवादी ने 5 मिनट में आने के लिए कहा गया। इसके पश्चात समय 2.55 पीएम पर श्री प्रदीप कुमार कानि0 को परिवादी श्री मोहित सोनी के साथ उसके प्राईवेट वाहन में परिवादी के किंग कार वर्ल्ड, ऐश्वर्या कॉलेज रोड, न्यू आरटीओ ऑफिस उदयपुर से पुर्व मिलने की मुनासिब हिदायत देकर रवाना कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय समस्त ट्रेप टीम मय स्वतंत्र गवाहन जरिये सरकारी वाहनो से पीछे-पीछे रवाना होकर समय 3.05 पीएम पर किंग कार वर्ल्ड, न्यू आरटीओ ऑफिस उदयपुर के पास पहुंचे, जहां पर परिवादी श्री मोहित सोनी व श्री प्रदीप कुमार कानि0 पूर्व से उपस्थित मिले, श्री प्रदीप कानि. को परिवादी को रिश्वत लेन-देन के लिए रवाना करने से पूर्व विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर चालु कर देने के लिए मुनासिब हिदायत दी गई। समय 3.10 पीएम पर श्री प्रदीप कुमार कानि. 245 द्वारा परिवादी श्री मोहित सोनी को वॉइस रिकॉर्डर चालू कर संदिग्ध श्री शांतिलाल के पास रिश्वत लेन-देन हेतू किंग कार वर्ल्ड, ऐश्वर्या कॉलेज रोड़, न्यू आर.टी.ओ. ऑफिस के पीछे, उदयपुर की ओर परिवादी की निजी कार से रवाना किया गया था तथा श्री प्रदीप कुमार कानि. 245 को भी उक्त कार के पीछे-पीछे रवाना कर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय समस्त ट्रेप टीम, दोनो स्वतंत्र गवाहान किंग कार वर्ल्ड के आसपास अपनी पहचान छुपाते हुए ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के निर्धारित ईशारे में मुकीम हुए, कुछ समय पश्चात परिवादी अपनी कार लेकर कार किंग वर्ल्ड के पोर्च में पहुंचा, जहां पोर्च में पूर्व से खडा एक व्यक्ति परिवादी की कार में बैठ गया, थोडी देर बाद उक्त व्यक्ति अपने हाथ में एक नेवी ब्लू कलर का बेग लेकर किंग कार वर्ल्ड के मैन गेट से बाहर खडी एक ग्रे रंग की बलेनो कार में ड्राईवर सीट पर बेठ गया ओर उसी समय 3.20 पीएम पर परिवादी श्री मोहित सोनी ने रिश्वत लेने संबंधी निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय एसीबी टीम एवं स्वतंत्र गवाहान के किंग कार वर्ल्ड के बाहर खडी कार के पास पहुंचे तो संदिग्ध व्यक्ति कार को स्टार्ट करने लगा, तभी कार का ड्राईवर साईड का गेट खोलकर उस व्यक्ति को कार में बेठे रहने व कार को वही खडी रखने की हिदायत देकर रूकवाया ओर परिवादी से वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा गया तथा परिवादी श्री मोहित सोनी ने बताया कि यह शांतिलाल जी है, जिन्होने मेरे से अभी अभी मेरी कार में बेठकर मेरे बेग में रखे 3,50,000/-रूपये बेग सहित लेकर एडीशनल एसपी साहब को देने के लिए जा रहा था। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने संदिग्ध श्री शांतिलाल को स्वंय एवं हमराही जाब्ता का परिचय देकर बलेनो कार नम्बर आरजे 22-सीबी-1917 की ड्राईवर सीट पर बेठे संदिग्ध श्री शांतिलाल को पुनः कार में बेठे रहने की हिदायत कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री शांतिलाल सोनी पुत्र श्री गोपाल लाल सोनी जाति सोनी, उम्र-42 साल, निवासी-धमाना रोड, नई हरिजन बस्ती, हैप्पी पब्लिक स्कूल के पास कपासन, पुलिस थाना-कपासन, जिला-चित्तौडगढ बताया। संदिग्ध श्री शांतिलाल सोनी के दोनो पैर के बीच में रख रिश्वत राशि के नेवी ब्लू कलर के बेग जिस पर अंग्रेजी में Being Human लिखा हुआ है, को स्वतंत्र गवाह श्री मानसिंह शेखावत उठवाया गया तथा स्वतंत्र गवाहान से उक्त बेग की तलाशी लिवाई गई तो बेग में एक पारदर्शी प्लास्टिक की थैली में पांच-पांच सौ रूपये के नोटों की कुल सात गड्डियां होना पाई गई। जिसको गिनवाया गया तो दोनो स्वतंत्र गवाहान ने प्रत्येक गड्डी में 500-500 रूपये के 100-100 नोट कुल 700 नोट कुल राशि 3,50,000/-रूपये होना बताया। दोनो स्वतंत्र गवाहन से उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो दोनो स्वतंत्र गवाहन ने हुबहु होना बताया। उक्त रिश्वती राशि के 3,50,000/-रूपये को उसी पारदर्शी प्लास्टिक की थैली में रखवाकर बेग सहित स्वतंत्र गवाह श्री मानसिंह शेखावत के पास रखवाये गये। आरोपी श्री शांतिलाल सोनी से परिवादी श्री मोहित सोनी से ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो श्री शांतिलाल सोनी ने बताया कि अभी-अभी मैंने मोहित सोनी से 3,50,000/-रूपये लिये है, उक्त राशि मैंने मोहित सोनी को उधार दे रखी है। मोहित सोनी मेरा रिश्तेदार है। जिस पर परिवादी श्री मोहित सोनी ने आरोपी श्री शांतिलाल सोनी के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि शांतिलाल जी मेरे द्वारा इन्द्रसिंह को बैची गई बी.एम.डब्लू कार के बकाया पैमेन्ट संबंधित विवाद चल रहा है, जिसमें इन्द्रसिंह ने मेरे खिलाफ दो एफआईआर करवाई थी, जिनमें सहयोग करवाने के संबंध में एडीशनल एसपी श्री हितेश मेहता से मुलाकात करवाई थी, परन्तु उक्त दोनो प्रकरणों में एफआर लग चुकी है, मेरे द्वारा इन्द्रसिंह के बकाया पैमेन्ट के चैक बाउंस संबंधित प्रकरण जरिये कोर्ट दर्ज करवाया जा रहा है, जिसमें चालान करवाने व उक्त सारा मामला निपटाने के लिए शांतिलाल ने एडीशनल एसपी श्री हितेश मेहता से दिनांक 14.08.2025 को मुलाकात करवाई थी ओर एडीशनल साहब द्वारा पूर्व में की गई गलती के संबंध में नाराज थे ओर अप्रत्यक्ष रूप से शांतिलाल सोनी को रिश्वत राशि देने पर सहयोग करने के बारे में कहा गया था ओर शांतिलाल सोनी ने एडीशनल एसपी साहब के कहे अनुसार 3,50,000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी ओर मुझे लगातार फोन कर व अचानक ऑफिस में आकर रिश्वत राशि की मांग की जा रही है। आज रिश्वत लेनदेन के दौरान मेरे ऑफिस में शांतिलाल सोनी द्वारा मेरी कार

बैठकर मेरा काम करवाने का आश्वासन देकर रिश्वत राशि 3,50,000/-रूपये का बेग ले लिया ओर मेरे सामने ने ही एडीशलन एसपी हितेश जी मेहता से जरिये वाट्सअप कॉल कर वार्ता की गई ओर अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत राशि प्राप्त करने के तथ्यों से अवगत करवाकर अभी मिलने की बात की थी। शांतिलाल सोनी सरासर झूठ बोल रहा है। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा संदिग्ध शांतिलाल सोनी द्वारा उपयोग में लिये जा रहे मोबाईल फोन विवो कंपनी बरंग आसमानी, जिसमें एयरटेल कंपनी की सिम नम्बर[redacted]की कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपी शांतिलाल सोनी से परिवादी श्री मोहित सोनी से लिये गये रिश्वत राशि के संबंध में जोर देकर पूछा तो शांतिलाल सोनी ने उक्त रिश्वत राशि एडीशनल एसपी साहब के लिए लेना बताया ओर स्वयं को छोडने की गुहार लगाई तथा स्वयं ने कहा कि मैं एडीशनल एसपी हितेश जी मेहता को वाट्सअप कॉल कर मोहित सोनी से लिये गये रूपयों के संबंध में वार्ता करूंगा। जिस पर आरोपी शांतिलाल सोनी के मोबाईल नम्बर[redacted]से संदिग्ध श्री हितेश मेहता एएसपी के मोबाईल नम्बर[redacted]पर स्पीकर चालू कर वाट्सअप कॉल करवाया गया। उक्त वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था, उक्त वार्ता में एडीशनल एसपी हितेश मेहता द्वारा एसीबी कार्यवाही का शक होने पर स्पष्ट रूप से वार्ता नही की गई। उक्त मोबाईल फोन की सरसरी तौर किये गये निरीक्षण से मोबाईल में एसपी साहब के नाम से सेव मोबाईल नम्बर[redacted]से आरोपी द्वारा अपने मोबाईल नम्बर[redacted]से संदिग्ध वाट्सअप कॉल होना पाई गई है। अतः अनुसंधान के प्रयोजनार्थ उक्त मोबाईल को फ्लाईट मोड़ पर किया जाकर सुरक्षित रखवाया गया। जिसका पृथक मे फर्द निरीक्षण तैयार की जावेगी। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में मौजुद लेन-देन वार्ता को सरसरी तौर पर सुना गया तो परिवादी के कथनो की पुष्टि होती है। चूंकि आरोपी शांतिलाल सोनी के विरूद्ध सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही की लिखापढ़ी किंग कार वर्ल्ड परिसर पर संभव नही है, अतः सुरक्षा की दृष्टि से अग्रीम कार्यवाही हेतू डिटेनशुदा आरोपी श्री शांतिलाल सोनी, स्वतंत्र गवाहान मय जब्तशुदा आर्टिकल्स व आरोपी की कार को हमराह समस्त एसीबी टीम के साथ पुलिस प्रताप नगर, उदयपुर के लिए रवाना हुये। मन् टीएलओ मय आरोपी श्री शांतिलाल सोनी, स्वतंत्र गवाहान मय हमराह समस्त एसीबी टीम व आरोपी की कार के साथ समय करीब 4.30 पीएम पर पुलिस थाना प्रताप नगर, उदयपुर पहुंच, प्रभारी अधिकारी, पुलिस थाना प्रताप नगर, उदयपुर की मौखिक सहमति ली जाकर थाना के स्वागत कक्ष में अग्रीम कार्यवाही की गई, जिसके क्रम में आरोपी श्री शांतिलाल सोनी के दोनो हाथों के धोवन की कार्यवाही नियमानुसार प्रारम्भ की गई, जिसमें आरोपी श्री शांतिलाल सोनी के दोनो हाथों के धोवन लेने के लिए ट्रेप बॉक्स से दो नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर, बोतल में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उक्त गिलासो में एक-एक प्लास्टिक के चम्मच से सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के तैयारशुदा घोल में आरोपी श्री शांतिलाल सोनी के दाहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमेला हो गया, जिसको हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को मटमेला होना बताया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क R-1 व R-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी श्री शांतिलाल सोनी एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दूसरे तैयारशुदा सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी श्री शांतिलाल सोनी के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमेला हो गया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को मटमेला होना बताया, जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क L-1 व L-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी श्री शांतिलाल सोनी एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री शांतिलाल सोनी द्वारा परिवादी श्री मोहित सोनी से प्राप्त रिश्वती राशि के 500-500 रूपये के 100-100 नोट की कुल 7 गड्डियों में कुल 700 नोट कुल राशि 3,50,000/-रूपये को उसी पारदर्शी प्लास्टिक की थैली में रखकर मय बेग को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलकर सील्ड मोहर कर मार्क M अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सूबत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। दौराने पूछताछ आरोपी श्री शांतिलाल सोनी ने बताया कि मोहित मेरे मामा के लडके का बेटा है, मेरे खिलाफ पूर्व में दहेज का मुकदमा हुआ था, जिसका अनुसंधान हितेश मेहता जी ने वल्लभनगर सीओ रहते की थी। तब से में हितेश जी को जानता हूं। मोहित सोनी के खिलाफ सुखेर पुलिस थाना में दर्ज प्रकरण में मदद करने एवं मोहित द्वारा कोर्ट से दर्ज करवाने वाले प्रकरण में मदद करने की बातचीत हुई थी। इसी सिलसिले में मैंने एडीशनल एसपी साहब को रूपये देने के लिए मोहित सोनी से आज रूपये लिये थे, इत्यादि बताया, जिसकी विडियोग्राफी की गई। अब तक की गई ट्रेप कार्यवाही मांग सत्यापन दिनांक 14.08.2025 तथा रिश्वत राशि लेन-देन दिनांक 26.08.2025 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ताओं के अवलोकन से आरोपी श्री शांतिलाल सोनी प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) द्वारा संदिग्ध श्री हितेश मेहता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्राईम अगेंस्ट वुमन (SIUCAW) उदयपुर के साथ मिलीभगत कर परिवादी श्री मोहित सोनी से उसके द्वारा विक्रय की गई बीएमडब्ल्यू कार की बकाया रूपये श्री इन्द्र सिंह से दिलवाने में मदद करने व परिवादी द्वारा जरिये कोर्ट इन्द्र सिंह के विरूद्ध दर्ज कराये जा रहे प्रकरण में चालान पेश करने व सारे मामले को निपटाने की एवज में

रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 14.08.2025 को आरोपी श्री शांतिलाल सोनी द्वारा परिवादी को हमराह लेकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्राईम अगेंस्ट वुमन (SIUCAW) उदयपुर के कार्यालय में ले जाकर संदिग्ध श्री हितेश मेहता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मिलवाकर काम करवाने के लिये परिवादी को आश्वस्त करवाना व श्री हितेश मेहता के कहेनुसार आरोपी श्री शांतिलाल सोनी द्वारा 3,50,000/-रूपये की मांग करना, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 15.08.2025, 21.08.2025 में आरोपी श्री शांतिलाल सोनी द्वारा श्री हितेश मेहता के नाम से रिश्वती राशि देने के लिये दबाव बनाने के तथ्यों की पुष्टि होने पर आज दिनांक 26.08.2025 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री शांतिलाल सोनी द्वारा परिवादी श्री मोहित सोनी से रिश्वती राशि 3,50,000/-रूप्ये का बेग को प्राप्त कर संदिग्ध श्री हितेश मेहता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से जरिये वॉट्सअप कॉल कर अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वती राशि प्राप्त होने का बताना व आरोपी श्री शांतिलाल सोनी द्वारा चलाई जा रही ब्लेनो कार नं0 आरजे 22 सीबी 1917 में उसके कब्जे से बेग से रिश्वती राशि 3,50,000/-रूपये बरामद होने के तथ्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये है। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री शांतिलाल सोनी प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) व संदिग्ध श्री हितेश मेहता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्राईम अगेंस्ट वुमन (SIUCAW) उदयपुर के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। आरोपी श्री शांतिलाल सोनी को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में दिनांक 14.08.2025, 15.08.2025 व 21.08.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिकॉर्ड आवाज एवं ट्रेप कार्यवाही रिश्वत राशि लेन-देन दिनांक 26.08.2025 को रिकॉर्ड हुई स्वयं की आवाज के संबंध में अपनी आवाज के नमूना का एफएसएल, जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु पृथक से नोटिस दिया गया जिस पर आरोपी श्री शांतिलाल सोनी ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। इस प्रकार अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री शांतिलाल सोनी पुत्र श्री गोपाल लाल सोनी जाति सोनी, उम्र-42 साल, निवासी-धमाना रोड, नई हरिजन बस्ती, हैप्पी पब्लिक स्कूल के पास कपासन, पुलिस थाना-कपासन, जिला-चित्तौडगढ, प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री शांतिलाल सोनी को हस्बकायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द नमूना शील पृथक से तैयार की गई। आरोपी की बलेनो कार नम्बर आरजे 22-सीबी-1917 को कब्जा एसीबी लिया जाकर उसकी सरसरी तोर से तलाशी ली गई तो कार में कोई संदिग्ध वस्तु नही होना पाई गई, जिसको सुरक्षार्थ पुलिस थाना प्रताप नगर, उदयपुर में खडी करवाया गया। प्रकरण के घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही के दौरान रिकॉर्ड की गई मांग सत्यापन वार्ताओं, रिश्वत लेन-देन के समय हुई वार्ताओं के वार्तारूपान्तरण व आरोपी श्री शांतिलाल सोनी की गई पूछताछ का विडियोग्राफी डीवीडीयां तैयार कर हैशवैल्यु निकाली जाकर शामिल पत्रावली की गई। अतः आरोपी श्री शांतिलाल सोनी पुत्र श्री गोपाल लाल सोनी जाति सोनी, उम्र-42 साल, निवासी-धमाना रोड, नई हरिजन बस्ती, हैप्पी पब्लिक स्कूल के पास कपासन, पुलिस थाना-कपासन, जिला-चित्तौडगढ, प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) व संदिग्ध श्री हितेश मेहता पुत्र श्री लक्ष्मीलाल मेहता, उम्र 51 साल, निवासी 3, शशि सदन, नवल श्याम हवेली के पास, जिला डूंगरपुर हाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्राईम अगेंस्ट वुमन (SIUCAW) उदयपुर के विरूद्ध अर्न्तगत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। (सुरेश कुमार स्वामी) पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर...........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में 1. -श्री शांतिलाल सोनी पुत्र श्री गोपाल लाल सोनी जाति सोनी, उम्र-42 साल, निवासी-धमाना रोड, नई हरिजन बस्ती, हैप्पी पब्लिक स्कूल के पास कपासन, पुलिस थाना-कपासन, जिला-चित्तौडगढ, प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) ,एवं 2- श्री हितेश मेहता पुत्र श्री लक्ष्मीलाल मेहता, उम्र 51 साल, निवासी 3, शशि सदन, नवल श्याम हवेली के पास, जिला डूंगरपुर हाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्राईम अगेंस्ट वुमन (SIUCAW) उदयपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री भूपेन्द्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 545 पर अंकित है।(अनिल कयाल) उप महानिरीक्षक-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1259-63 दिनांक 28-08-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः−1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर । 2- प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग,राजस्थान,जयपुर । 3 -महानिदेशक पुलिस,राजस्थान, जयपुर । 4-उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर उप महानिरीक्षक-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Bhupendra **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Anil Kumar Kayal
Location: Rajasthan,IN
Date 28/08/2025 18:2

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): ANIL KAYAL

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1983				
2	Male	21/06/1974				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)